न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 138/2018
जीसीएमएस न0 2018/00425

1. श्री देवीलाल पिता श्री मोहनलाल धाकड निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. श्रीमति तलकुबाई बेवा स्व० मोहनलाल धाकड निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा राज०

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री नानालाल धाकड निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा राज० (न्यायालय आदेश से नाम विलोपित किया गया)

   1/1. तरूण कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण धाकड निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. चित्तौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा निम्बाहेडा जरिये शाखा प्रबन्धक, चित्तौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1– श्री रामेश्वरलाल धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री ज्ञानचंद्र धाकड़ – अधिवक्ता अप्रार्थी विपक्षी संख्या 1

:: निर्णय ::

दिनांक 06.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी मोजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 312 की आराजी नंबर 1350 रकबा 0.2600 हैक्टेयर भूमि स्थित है प्रार्थीगण की आराजी के पास ही विपक्षी सं० 1/1– तरुणकुमार पिता लक्ष्मीनारायण धाकड की आ०नं0 1349 रकबा 0.2400 हेक्टेयर भूमि लगानी 10.08 रूपये स्थित हैं।

2. प्रार्थीगण की आराजी नं0 1350 में आने जाने का रास्ता, विपक्षी सं01/1 की आराजी नं0 1349 की पूर्वी मे[illegible] प्रवेश करता है, यह रास्ता मौके पर करीब 12 फीट चौडाई में हो[illegible] प्रार्थीगण अपने हल बैल गाडी, कृषि उपकरण, ट्रेक्टर आ[illegible] लाता ले जाता हैं तथा उक्त रास्ते के [illegible] रास्ता मौजुद नहीं हैं।

3. उक्त रास्ता जो कि मैनरोड कनेरा निम्बाहेडा रोड से दक्षिण से उत्तर की तरफ रास्ता के रूप में दर्ज आ0नं0 1364 में से होकर रास्ता की आ०नं० 1370 से होकर प्रार्थीगण की आराजी चाह नं0 1371 पर पहुँचता हैं और आ0नं0 1371 से लगी हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner

हन प्रार्थीगण की आराजी नं0 1358 रकबा 0.9300 हैक्टेयर तक पहुँचता हैं और हम प्रार्थीगण की आराजी नं0 1358 से उत्तर दिशा में विपक्षी सं० 1/1 की आ०नं० 1349 रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि लगी हुई हैं और विपक्षी सं० 1/1 की उक्त आराजी से उत्तर की तरफ लगी हुई हम प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी नं01350 रकबा 0.2800 हैक्टेयर भूमि हैं। उक्त आराजी नं0 1350 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता जो आ०नं० 1350 के दक्षिणी पूर्वी कोने से विपक्षी सं० 1/1 की आराजी नं0 1349 के उत्तरी पूर्वी कोने से विपक्षी सं० नं0 1349 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे 12 फीट चौडाई में आ०नं0 1349 में से होता हुआ रास्ता विपक्षी सं० 1/1 की उक्त आराजी के दक्षिणी पूर्वी कौने से होता हुआ, प्रार्थीगण की आ0नं0 1356. में पहुँचता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी पर कृषि करने के लिये करते चले आ रहे हैं और जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी नं0 1350 में अपने कृषि उपकरण, कृषि पैदावार, हल बैल सामन्द लाने ले जाने के काम में विगत करीब 20 वर्षों से अधिक समय से उपयोग उपभोग करते हुए उक्त आराजी पर कृषि कर रहे हैं। और उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी नं० 1350 पर पहुँचने के लिये और कोई वैकल्पिक रास्ता कही से भी नहीं है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए. से बी. दर्शाया गया हैं। जिसे विपक्षी सं० 1/1 द्वारा बन्द कर दिये जाने से प्रार्थीगण की आराजी वर्तमान में पडत हो गई हैं। जिससे प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा हैं। और विपक्षी सं० 1/1 की नियत में बदयांति होने से विपक्षी सं0 1/1 प्रार्थीगण की आराजी पर पहुँचने वालें रास्ते को बन्द कर प्रार्थीगण से उक्त आराजी छीनना चाहता हैं, इस कारण न्यायहित में प्रार्थीगण को रा०का०अधि० के तहत धारा 251 ए के प्रावधान अनुसार विधिवत उक्त आराजी पर पहुँचने के लिये रास्ता डी.एल.सी. दर अनुसार विपक्षी सं० 1/1 को विधिवत भुगतान कराया जाकर प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज कराया जाना आवश्यक हैं।

4. विपक्षी सं० 1 द्वारा वादग्रस्त कदीमी रास्ता अभी दिनांक 15.09.2017 से पैदा हैं, जबकि विपक्षी सं० 1 द्वारा प्रार्थीगण को उसकी आराजी में आने जाने के एक मात्र कदीमी रास्ते से होकर निकलने से रोक दिया और रास्ता अवरूद्ध कर दिया, से पैदा होकर यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश हैं। दौराने कार्यवाही राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं० 1/1 तरूण कुमार का नाम दर्ज होने से उसके. द्वारा भी रास्ते में अवरोध किया जा रहा है, इसलिये उसे विपक्षी सं० 1/1 बनाया गया है।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी संख्या 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्द्र धाकड ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित प्रार्थीगण की आराजीयात के आराजी न० जानकारी के अभाव में स्वीकार नही। प्रार्थीगण करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से आराजी न० 1348 के पश्चिमी भाग जो कि अजमेरा जी का खेत था, [illegible] धाकड ने खरीद लिया, से होकर आ जा रहे है तथा आराजी न0 1348 मुख्य सडक कनरा [illegible] लगा हुआ है। उक्त कलम में वर्णित तथ्य [illegible] अंकित किये गये है। प्रार्थीगण अपनी सुविधानुसार [illegible] पश्चिम भाग में है, उक्त जबकि इनका रास्ता कदीम से आराजी [illegible] खडी होकर तारबन्दी कर कलम में वर्णित तथ्य स्वीकार नही। मौके पर फस[illegible] उक्त आराजी में नहीं रहा है रखी है तथा आज से 100 वर्षों पूर्व भी कोई रास्ता उक्त आराजी में नहीं रहा है जिसमें प्रार्थी मांग रहा है। तथा तारबन्दी के अन्दर ट्यूबवैल व विद्युत पोल लगा हुआ है जिससे यदि न्यायालय रास्ता दे भी दे तो भी निकल नही पायेंगे तथा गोपाल धाकड के खेत के पश्चिम की ओर से आने जाने के कारण प्रार्थी दो रास्ते

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्राप्त करने का अधिकारी नही है।प्रार्थना है कि यदि माननीय न्यायालय यदि विकल्प में प्रार्थीगण को रास्ता देना ही चाहता है तो उत्तर में लगी हुई आराजी नं० 1348 के पश्चिमी भाग में जहां से आ जा रहे है, वही पर रास्ता दिया जावें, उक्त रास्ता मुख्य सडक पर निकलता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने के कारण खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. तहसीलदार निम्बाहेडा ने मय अनुशंषा मौका रिपोर्ट इस कार्यालय कों प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में अंकन किया कि मौजा कनेरा की आराजी नं. 1350 रकबा 0.26 हैक्टेयर प्रार्थीगण श्री देवीलाल पिता मोहनलाल एवं तलकुबाई पत्नि स्व. मोहनलाल धाकड निवासी कनेरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगणों के आराजी नं. 1350 पर जाने हेतु आराजी नं. 1349 रकबा 0.24 हैक्टेयर बीच में पडता है तथा आराजी नं. 1356 एवं 1358 प्रार्थीगणों का आराजी है, जो आराजी नं. 1339 किस्म रास्ते से लगा हुआ है। इस प्रकार प्रार्थीगणों के आराजी नं. 1350 रकबा 0.26 हैक्टेयर मौजा कनेरा पर आने-जाने हेतु सबसे उपयुक्त एवं सबसे निकटतम रास्ता है। अन्य कोई विकल्प नहीं होकर, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। आराजी नं. 1350 रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में पडत पडी हुई है। प्रार्थीगणों के आराजी नं. 1350 रकबा 0.26 हैक्टेयर पर आने-जाने हेतु आराजी नं. 1349 की उत्तरी मेड प्रस्तावित की जाकर रास्ते की लम्बाई एवं चौडाई निम्नानुसार है:-

क्र. स	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	नाम खातेदार	प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल	2 गुना राशि (डी0एल0सी दर अनुसार)
1	कनेरा	1349	0.24	श्री तरूण कुमार पिता लक्ष्मीनारायण धाकड़ निवासी कनेरा	56 X 4 =224 वर्गमीटर	91,190/-
	योग					91,190

7. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । हमने बहस पर मनन किया।

8. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' का उद्धरण यहॉं प्रतीत होता है-

धारा 251-क- अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान [illegible]

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के [illegible] लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में [illegible] चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या [illegible] जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान [illegible] को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉंच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सुरेश

(2)

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहाँ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

9. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

10. पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में [illegible] पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीगणों के आराजी नं. 1350 [illegible] आराजी नं. 1349 रकबा 0.24 हैक्टेयर बीच में पड [illegible] 1350 प्रार्थीगणों का आराजी है, जो आराजी नं. [illegible] है। इस प्रकार प्रार्थीगणों के आराजी नं. 1350 [illegible] केनेरा पर आने–जाने हेतु सबसे उपयुक्त एवं सबसे निकटतम रास्ता है। अन्य [illegible] विकल्प नहीं होकर, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। आराजी नं. 1350 रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में पडत पडी हुई है। प्रार्थीगणों के आराजी नं. 1350 रकबा 0.26 हैक्टेयर पर आने–जाने हेतु आराजी नं. 1349 की उत्तरी मेड प्रस्तावित भूमि

सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रास्ते के उपयोग में दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है वह प्रार्थीगण श्री देवीलाल पिता श्री मोहनलाल धाकड एवं तलकुबाई पत्नी स्व. मोहनलाल धाकड़ निवासी कनेरा मौजा कनेरा की आराजी नम्बर 1350 रकबा 0.26 हैक्टेयर प्रार्थीगण की आराजी पर जाने हेतु आराजी नम्बर 1349 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि में से 56 मीटर लंबाई X 4 मीटर चौड़ाई की कुल भूमि = 224 वर्गमीटर भूमि का डी०एल०सी दर से चौडाई का रास्ता कायम किया जायें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की कुल कीमत का दुगुना यानी राशि रू 91,190/– प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी संख्या 1/1 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जायें । अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जायें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। तहसीलदार द्वारा इस बात का ध्यान रखा जावे की प्रार्थीगण से क्षतिपूर्ति राशि लेने के उपरान्त राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को लिखा जावें। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

क्र. स	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (है0)	नाम खातेदार	प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल	2 गुना राशि (डी0एल0सी दर अनुसार)
1	कनेरा	1349	0.24	श्री तरूण कुमार पिता लक्ष्मीनारायण धाकड़ निवासी कनेरा	56 X 4 =224 वर्गमीटर	91,190/–
योग						91,190

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:01 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner